मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. IPI/5/0028/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अवादा इलेक्ट्रो प्रा. लि. द्वारा प्रदेश में लगभग राशि रूपये 15,673 करोड़ (पुनरीक्षित राशि रू. 6106.00 करोड, प्लांट - मशीनरी एवं भवन में निवेश रूपये 4384 करोड) के स्थाई पूंजी निवेश से निर्माण इकाई (सोलर माड्यूल एवं सोलर सेल) की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2207180001) एवं संलग्न सोलर पॉवर पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत विनिर्माण इकाई में यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 20 प्रतिशत की स्थिर दर से रोजगार गणक को सम्मिलित करते हुये शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये। सुविधाओं की अधिकतम सीमा निर्यात गणक सहित रूपये 600/- करोड होगी।

2. **भूमि के मूल्य में रियायत-** परियोजना को औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, सेक्टर - 7 जिला धार में भूमि आवंटन के समय प्रचलित भूमि के मूल्य एवं भूमि विकास शुल्क में 50% की दर से छूट प्रदान की जाये।

3. **जल दर में रियायत** - परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्ष हेतु रूपये 10 प्रति किलोलीटर की दर से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को छूट दी जाये।

4. **विद्युत संबंधी रियायतें-**

(i) **डिमाण्ड चार्जेज (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता हेतु)** - रूपये 350/- प्रति मेगावॉट अथवा 50 प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी कम हो, 7 वर्षों हेतु डिमाण्ड चार्जेज से छूट दी जाये।

(ii) **बैंकिंग चार्जेज** - कुल बैंक की गयी विद्युत यूनिट्स पर 50 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों हेतु बैंकिंग चार्जेज से छूट दी जाये।

(iii) **हरित ऊर्जा प्रमाणीकरण शुल्क** - डिस्कॉम से विद्युत आहरण किये जाने की स्थिति में प्रभारित हरित ऊर्जा प्रमाणीकरण शुल्क से 7 वर्षों हेतु शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाये।

(iv) **वार्षिक न्यूनतम शुल्क-** डिस्कॉम से अनुबंध मांग के आधार पर आहरित की गई विद्युत पर प्रभार्य वार्षिक न्यूनतम शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट 7 वर्षों हेतु प्रदान की जाये।

(v) **ट्रांसमिशन चार्जेज में रियायत** - राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग पर 50 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों हेतु ट्रांसमिशन चार्जेज में छूट दी जाये।

(vi) **एनर्जी चार्जेज** - नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में कमी होने या ओपन एक्सेस से अपेक्षित विद्युत की अनुपलब्धता होने पर ग्रिड से ऊर्जा का आहरण किये जाने की स्थिति में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 अनुसार रूपये 1 प्रतियूनिट की दर से 10 वर्षों तक छूट दी जाये।

(vii) **विद्युत शुल्क-** डिस्कॉम से आहरित की गई विद्युत पर प्रभार्य विद्युत शुल्क से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 अनुसार शत-प्रतिशत की छूट 10 वर्षों हेतु प्रदान की जाये।

(viii) **ऊर्जा विकास उपकर** - परियोजना अंतर्गत राज्य में उत्पादित नवकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन आदि) अथवा राज्य के बाहर से आहरित की गई नवकरणीय ऊर्जा पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 अनुसार प्रभारित ऊर्जा विकास उपकर से 10 वर्षों हेतु शत-प्रतिशत छूट दी जाये।

5. मध्यप्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति, 2022 की निम्न कंडिकाओं में निहित प्रावधानों से परियोजना को छूट प्रदान की जाये:-

i. **कंडिका क्रमांक 5.2.5-** Manufacturing projects shall source more than 50% of raw material or semi furnished materials in India, preferable in Madhya Pradesh.

ii. **कंडिका क्रमांक 5.2.6-** Manufacturing company should be registered in India, and should have networth more than 35% of committed investment as on date of registration.

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

8. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0028/2022/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, चेयरमेन, मेसर्स अवादा इलेक्ट्रो प्रा. लि. 406, 4th Floor, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Road, Andheri (E), Mumbai - 400069.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग